छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 7–4/सात–1/2015 पार्ट नया रायपुर, दिनांक 22/11/2016

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स,
छत्तीसगढ़।

विषय :– भू–अर्जन से प्रभावित परिवारों को अधिनियम की अनुसूची–दो का लाभ दिए जाने विषयक।

संदर्भ :– इस विभाग का पत्र क्रमांक एफ 7–4/सात–1/2015, पार्ट दिनांक 29–01–2016।

–00–

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्र दिनांक 29–08–2016 के माध्यम से भू–अर्जन, पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिनियम 2013 के तहत विभाग द्वारा यह मार्गदर्शन जारी किया गया है, कि **अनुसूची–दो** के कण्डिका– 4 का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को देय होगा, जिनकी आजीविका प्रमुखतः अर्जित की जाने वाली भूमि पर निर्भर है।

2/ उक्त मार्गदर्शन के संबंध में कलेक्टर, रायगढ़ के द्वारा पुनः अपने पत्र क्रमांक 8870/भू–अर्जन/2016, रायगढ़ दिनांक 06–10–2016 के माध्यम से यह मार्गदर्शन चाहा गया है, कि आजीविका की परिभाषा क्या होगी ? आजीविका का निर्धारण किसके द्वारा किया जावेगा?

3/ इस संबंध में **अधिनियम 2013 में आजीविका को पृथक से परिभाषित नहीं किया गया है, तथापि सामान्य तौर पर आजीविका का आशय वह प्रमुख व्यवसाय, जिस पर परिवार का भरण पोषण निर्भर है, माना जाता है।** इसी तरह अधिनियम की धारा 16 की उपधारा में यह प्रावधान है, कि **"प्रशासक उपधारा (1) के अधीन सर्वेक्षण एवं जनगणना के आधार पर विहित किये गये अनुसार एक प्रारूप पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार करेगा, जिसमें ऐसे प्रत्येक भूधारी और भूमिहीन की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारियों की विशिष्टियां सम्मिलित होंगी, जिनकी आजीविका मुख्य रूप से अर्जित की जा रही भूमि पर निर्भर है।"** इस तरह नियमों में ऐसे व्यक्तियों, जिनकी आजीविका अर्जित भूमि पर रही हो, कि लिए पुनर्वास योजना तैयार करने का दायित्व पुनर्वास प्रशासक का निर्धारित किया गया है।

4/ अतः यह निर्देशित किया जाता है, कि भू–अर्जन से किस व्यक्ति की आजीविका प्रभावित हो रही है, उसका निर्धारण पुनर्वास प्रशासक के द्वारा किया जावे। इस हेतु विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 4–28/सात–1/2014 के माध्यम से सभी अनुविभागीय अधिकारी को उनके क्षेत्राधिकार में पुनर्वास प्रशासक नियुक्त किया गया है। इसी तरह आजीविका का आशय, वह प्रमुख व्यवसाय, जिस पर मुख्यतः परिवार का भरण पोषण निर्भर है, माना जावे।

(के0आर0 पिस्दा)
सचिव 22/11/2016
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 7–4/सात–1/2015 पार्ट नया रायपुर, दिनांक 22/11/2016

प्रतिलिपि –

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छ0ग0 शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव 22/11/2016
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

O/C